

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इतिरायतस जय</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हु</p>
<p>15-12-20</p>	<p>हुकम का अन्तिम पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से हटकर है। अदालत पर है / बदरिका कि काल: फावली दिनांक 24-12-20 को बना हो।</p> <p>उपर उपस्थित अधिकारी मन्तव्य</p>	
<p>24-12-20</p>	<p>फावली फेस हुई वकील प्राथोगण उपस्थित अप्राथोगण के सम्मन काग तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा 0 फावली किये गये। अप्राथोगण अनुपस्थित तस्वीलदर माण्डल से माँका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल फावली किया गया। अप्राथोगण को कितनी सर्वसा आवा धने दिनाधी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश किये जाते है वकील प्राथोगण का प्रार्थना फा रकीकार किया जाकर निर्णय प्रथक से भिखा जाकर शामिल फावली किया गया। फावली फेसाल अंसार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>उपस्थित अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा</p>	



राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

सीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मा संख्या - 140/20 प्रांप्ता

श्री हरलाल शिवाजी कुमर निवासी-चारंगेड तहसील-माण्डल [कोरा]

-प्रार्थी

बनाम

श्री अमरचन्द शिवाजी गालु वैरवा निवासी-चारंगेड तहसील-माण्डल [कोरा]
(सहायक प्रांप्ता संलग्न)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 24.12.20

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम.....चारंगेड.....पटवार हल्का.....चारंगेड.....तहसील माण्डल में उसके /संयुक्त खाते की आराजी नं. 1961/42.....कुल किता 01.....रकबा 02.....10.....विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते में की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.08.20.....को पंजीबद्ध किया जाकर को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से ठीकी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की कुरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....चारंगेड.....पटवार हल्का.....चारंगेड.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की जी नं. 1961/42.....कुल किता 01.....रकबा 02.....10.....विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....चांदरास.....300/-...../ - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये गए हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा

लिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा